कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-वृन्दावन
सेक्टर-9बी, वृन्दावन,लेसा, लखनऊ फोन नं0 0522-2443953
E-mail:eevrindavanlesa@gmail.com

पत्रांकः- 448 /वि0न0वि0ख0(वृ0)/(2018-19)/T.C. दिनांकः-

- कार्यालय ज्ञाप -

एतद्द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित आवेदक के पक्ष में अस्थायी संयोजन प्रयोजन हेतु अधोलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी विद्युत संयोजन स्वीकृत किया जाता है-

आवेदक का नाम व पता	विधा/स्वीकृत भार	अवधि		प्रयोजन	कार्यस्थल
		कब से	कब तक		
1	2	3	4	5	6
श्री मनीश कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर नि0-19 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	LMV-9 / 02 कि0वा0	07.02.2019	06.08.2019	भवन निर्माण (06 माह)	Plot No. 12/GH-07, Sec-12, Vrindavan Yojna,LKO

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसको अवमुक्त करना निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

1- इकाई/संस्था/आवेदक के द्वारा पीक आवर्स में विद्युत का उपभोग पंखा/बत्ती को छोड़कर पूर्णतया प्रत्येक दशा में प्रतिबंधित होगा और इसका उल्लंघन करने पर विद्युत कनेक्शन को सथई रूप से विच्छेदित कर दिया जायेगा।

2- प्रभावित 400/220/132 के0वी0 उप संस्थानों पर स्थापित ट्रान्सफार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।

3- विद्युत प्रणाती ओवर लोडिंग होने के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि इकाई/संस्था/आवेदक की विद्युत प्रणाली में ब्रेकडाउन, लोड शेडिंग लो वोल्टेज की समस्यायें विद्यमान रहे।

4- यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह आदेश निरस्त माने जायेगें।

5- यह स्वीकृति इस शर्त के साथ भी प्रतिबंधित है कि उपभोक्ता को इस विद्युत भार के उपयोग से पूर्व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) के अतिरिक्त प्रयोजनार्थ शासन के सम्बन्धित विभाग/समक्ष अधिकारी द्वारा लाइसेन्स (यदि नियमतः आवश्यक हो तो) भी प्राप्त कर सम्बन्धित अधिशासी अभियंता को देय करना अनिवार्य होगा।

6- निमार्ण कार्य हेतु विद्युतभार की स्वीकृति के कारण कारपोरेशन पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी की इकाई /संस्था आवेदक को स्थाई विद्युतभार स्वीकृत अवमुक्त किया जायेगा।

7- उक्त संयोजक की आपूर्ति कारपोरेशन नियमों के अन्तर्गत की जायेगी, परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली को सुरक्षा हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार रोस्टरिंग तथा आपात कालीन रोस्टरिंग की जा सकती है।

8- विद्युत आपूर्ति सप्लाई वोल्टेज की आवश्यकता व उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।

9- यदि उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम स पहले कोई कनेक्शन रहा हो तो उक्त भार तब तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस पुराने कनेक्शन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया धनराशि (कोई हो) का पूरा भुगतान होने पर दिया जायेगा।

10- कारपोरेशन द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युतभार अवमुक्त किया जायेगा।

11- विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्टरिंग अथवा विद्युत आवश्यकता/मांग बनाये रखने के लिए आवेदक के अपना जेनरेटर सेट लगाने का परामर्श दिया जाता है।

12- अस्थाई संयोजन के समाप्ति तिथि व्यतीत होन के बाद संयोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा। अतः संयोजन की तिथि समय से पूर्व बढा लें अन्यथा की स्थिति में विद्युत उपभोग करना भा0वि0अधि0-2003 की धारा-135 के अन्तर्गत विद्युत चोरी मानी जायेगी।

13- उक्त स्वीकृति निम्नलिखित धनराशि जमा करने की शर्त के साथ (जमा रसीद की छायाप्रति संलग्न) हैः-

कम	विवरण	धनराशि		जमा रसीद नं0	दिनांक
1	प्रकमण शुल्क	रू0	100.00	013577	7.02.19
2	सर्विस लाइन चार्जेज	रू0	425.00		
3	मीटर की कीमत	रू0	980.00		
4	@18% जीएसटी	रू0	270.90		
5	प्रतिभूति शुल्क	रू0	3000.00		
6	प्रतिभूति शुल्क का 40%		1200.00	013526	07.02.19
7	विद्युत बिल अग्रिम	रू0	31200.00		
	कुल योग्य रू0		37176.00		

इं0 बृजमोहन
अधिशाषी अभियंता

पत्रांक 448 वि0न0वि0ख0(वृ0)/T.C. तद्दिनांकः- 07.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उपखण्ड अधिकारी, वि0न0वि0उपखण्ड, वृन्दावन/रजनी खण्ड, लेसा, लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया आवेदित परिसर पर उचित क्षमता का <u>मीटर स्थापित करवाकर सीलिंग प्रमाण-पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बिलिंग हेतु</u> प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2- खण्डीय लेखाकार(राजस्व), वि0न0वि0खण्ड,वृन्दावन,लेसा,लखनऊ

3- श्री मनीश कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर नि0-19 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

4- कार्यालय प्रति।

(इं0 बृजमोहन)
अधिशाषी अभियंता